

(OPEN COURT)

**CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, ALLAHABAD BENCH
ALLAHABAD**

This is the 03rd day of JULY 2018.

ORIGINAL APPLICATION NO. 722 of 2013

HON'BLE MR JUSTICE VISHNU CHANDRA GUPTA, MEMBER (J).
HON'BLE MR GOKUL CHANDRA PATI, MEMBER (A).

1. x.k" k nk l i= vejpln me 47 o'k fuokl% th&348] vkoj fot jkM if"pe jyo
dkykuh] >klh m0i0 & 284003A

.....oknh

cuke

- 1- Hkkjr ljdkj }kjk egkicU/kd mRRkj e/; jyo] bykgkcknA
2- egkicU/kd jy fo|rhj.k] bykgkcknA
3- e.My jy icU/kd %dkfed% mRRkj e/; jyo] >klhA
4- e[; ifj;ktuk icU/kd %dkfed% jy fo|rhj.k] eFjkA
5- e[; ifj;ktuk icU/kd %dkfed% jy fo|rhj.k] fcykl i jA
6- e[; ifj;ktuk icU/kd %dkfed% jy fo|rhj.k] nkukijA
7- ofj'B e.My fo|r vfHk;Ur k] % lkeU; % mRrj e/; joy] >klhA

..... प्रतिवादी

Advocate for the Applicant : Shri Ganesh Das applicant
appeared in person

Advocate for the Respondents : Shri Sanjeev Kumar Pandey

ORDER

(Delivered by Hon'ble Mr Justice Vishnu Chandra Gupta Member-J)

This Original Application has been filed by the applicant seeking the following reliefs:-

- "(a) मु०परि०प्र० (का०) रे० वि० / बिलासपुर प्रतिवादी क्र०-5 द्वारा जारी का० आ० सं० ई / बीएसपी / 139 / 98 दिनांक 20 . 02 . 98 को निरस्त कर दिनांक 24 .05 .95 से नियमित (स्थाई) करने का आदेश जारी करने का आदेश म० रे० प्र० (का) उ० म० रे० / झाँसी प्रतिवादी क्र० 3 को दे।
- (b) मु०परि०प्र० (का०) रे० वि० / बिलासपुर प्रतिवादी क्र०-5 द्वारा सेवा पुस्तिका एवं अवकाश खाते में उल्लेखित 1/96 प्रविष्टि में दिनांक 01 -03 -96 से 10 .03 .96 तक 10 दिन अनुपस्थित अवधि के त्रुटिपूर्ण उल्लेख

को समाप्त कर सेवा में गणना करने का आदेश म० रे० प्र० (का) उ०म० रे० / झाँसी प्रतिवादी क्र०-3 को दे।

- (c) मु० परि० प्र० (का०) रे० वि० / दानापुर प्रतिवादी क्र०-6 द्वारा सेवा पुस्तिका एवं अवकाश खाते में उल्लेखित II/2001 प्रविष्टि पर दिनांक 27 .06 .2001 से 25 .07 .01 तक 29 दिन अनुपस्थित अवधि के त्रुटिपूर्ण उल्लेख को समाप्त कर सेवा में गणना करने का आदेश म० रे० प्र० (का) उ० म० रे० झाँसी प्रतिवादी क्र० 3 को दे ।
- (d) महाप्रबंधक (का) रे० वि०/इलाहाबाद प्रतिवादी क्र०-2 द्वारा दिनांक 05 .06 .95 से 18 .06 .95 (14 दिन) तथा दिनांक 01 .07 .95 से 18 .07 .95 (18 दिन) कुल = 32 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत का भुगतान राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को भेजते हुए उक्त 32 दिन को सेवा से गणना करने का आदेश म० रे० प्र० (का) उ० म० रे० / झाँसी प्रतिवादी क्र० - 3 को दे ।
- (e) म० रे० प्र० (का) उ० म० रे० / झाँसी प्रतिवादी क्र० 3 को आदेश दे कि उनके द्वारा जारी का० आ० सं० 638 /2012 पत्र क्र० पी/328/एमएसीपीएस/इएलजी दिनांक 26 .09 .12 को निरस्त कर उपरोक्त अनुपस्थित अवधि $10 + 29 + 32 = 71$ दिनों कि सेवा में गणना क्र एमएसीपीएस का द्वितीय वित्तीय लाभ दिनांक 30 .04 .2011 - 71 दिन = 18 . 02 .2011 से भुगतान का आदेश जारी करे ।
- (f) केस के तथ्यों एवं बहस के आधार पर अन्य कोई अनुकूल आदेश था निर्देश जो माननीय प्रशासनिक अधिकरण को उचित एवं न्यायसंगत लगता हो जारी करने कि कृपा करे ।
- (g) प्रार्थी के पक्ष में मूल आवेदन में हुए माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय अनुसार लगत मूल्य का भुगतान कराने कि कृपा करे ।”

2. The applicant has claimed reliefs on different cause of action. This is evident from the nature of relief claimed by the applicant. Hence, option is given to the applicant to inform as to which relief he claims to press in this OA.

3. The applicant did not exercise his option and stated that he does not want to exercise any option for choosing the relief.

4. Accordingly, in view of the Rule-10 of the CAT Procedure Rule, the petition is dismissed.

(GOKUL CHANDRA PATI)
MEMBER-A

(JUSTICE VISHNU CHANDRA GUPTA)
MEMBER-J

Arun..